

क्रमांक: एफ 10(101)रा.रा.खाना.आ.नि./अन्नपूर्णा भण्डार /2025-26/ 648 दिनांक 25/04/2025

राज्य स्तरीय एफएमसीजी उत्पादनकर्ता,
एफएमसीजी एग्रीग्रेटर,
एफएमसीजी C&F एजेन्ट,
अध्यक्ष, राजस्थान राशन विक्रेता संघ/यूनियन
प्रतिनिधि, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद,
जयपुर।

विषय:- बजट घोषणा 2025-26 बिन्दु संख्या 80 "अन्नपूर्णा भण्डार" के सफल क्रियान्वयन के लिये सुझाव आमंत्रित करने हेतु बैठक आयोजित करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार बजट घोषणा 2025-26 के बिन्दु संख्या 80 अनुसार अल्प आय वर्ग के परिवारों को भी रोजमर्रा की आवश्यकता का सामान उचित मूल्य पर मिल सके, इस हेतु 5 हजार उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भण्डार खोले जाने प्रस्तावित है। इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कार्यरत उचित मूल्य दुकानदारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के साथ-साथ उनके माध्यम से जनसाधारण को उच्च गुणवत्ता की मल्टीब्रॉन्ड उपभोक्ता वस्तुएँ उचित एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराया जाने का मूल उद्देश्य है।

उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देशों के सन्दर्भ में आप सभी के सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम लि. की अध्यक्षता में दिनांक 28.04.2025 को 3:00 बजे निगम मुख्यालय सभागार, चतुर्थ तल, किसान भवन लाल कोठी, जयपुर में बैठक आयोजित की गई है।

उक्त बैठक में सम्मिलित होने का श्रम करे।


(मिथलेश मीना)
महाप्रबन्धक (विपणन)

क्रमांक: एफ 10(101)रा.रा.खाना.आ.नि./अन्नपूर्णा भण्डार /2025-26/649- 661 दिनांक 25/04/2025

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.खाना.आ.नि. जयपुर।
3. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. महाप्रबन्धक (प्रशासन) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. जनसम्पर्क अधिकारी खाद्य विभाग, को समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु।
6. एसीपी, खाद्य विभाग को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. राजस्थान राशन विक्रेता संघ/यूनियन
8. प्रतिनिधि, राज. ग्रामीण आजीविका विकास परिषद
9. अन्नपूर्णा भण्डार एसओपी तैयार करने हेतु निर्मित समिति सदस्य को बैठक में निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होने बाबत।
10. समस्त अन्नपूर्णा प्रकोष्ठ सदस्य।
11. ओआईसी स्टोर, निगम मुख्यालय को व्यवस्थार्थ।
12.


महाप्रबन्धक (विपणन)